राष्ट्रीय आयुष मिशन – औषधीय पादपों हेतु प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश वर्ष 2016–17

1.0 परिचय

भारत सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2016–17 के लिए नब्बे प्रतिशत केन्द्र सरकार के अंशदान द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन औषधीय पादपो का विकास एवं कृषि हेतु कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। इसका मुख्य उद्धेश्य आयुष उद्योग को लगातार कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये औषधीय पौधें का कृषिकरण करना है। इससे जंगलों के विनाश को रोका जाकर राज्य में कृषि विविधिकरण एवं निर्यात को बढावा दिया जा सकेगा एवं प्रति इकाई अधिकतम आमदनी प्राप्त की जा सकेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु औषधीय पौधों की मॉडल/लधु नर्सरी, कृषिकरण (खेती), से लेकर उनके मूल्य प्रवर्धन, भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन की ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए एवं मिशन मैनेजमेन्ट के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उद्यान विभाग के माध्यम से विशेषकर औषधीय पौधों की खेती कम्पोनेंट के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत औषधीय पादप कम्पोनेंट राज्य आयुष सोसायटी/ स्टेट मेडीसनल प्लांट्स बोर्ड के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

2.0 सामान्य निर्देश

योजना के सामान्य दिशा–निर्देश निम्न प्रकार से हैः–

1. कृषक/उद्यमी/लाभार्थी संस्थान राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत नर्सरी स्थापना हेतु अनुदान के लिये परियोजना संबंधित बैंक में प्रेषित करेगा तथा बैंक से ऋण स्वीकृत करने के सहमति पत्र की प्रति के साथ परियोजना प्रस्ताव को संबंधित जिला होर्टीकल्चर उवलपमेंट सोसायटी (उद्यान विभाग) के कार्यालय में आवेदन करेगा।
2. परियोजना प्रस्ताव के लिये संबंधित सक्षम अधिकारी एल.ओ.आई. जारी कर प्रार्थी एवं ऋण लेने की स्थिति में संबंधित बैंक को सूचित करेंगे।
3. बैंक द्वारा प्रार्थी को ऋण जारी करने के पश्चात् बैंक द्वारा संबंधित कार्यालय को अनुदान राशि जारी करने हेतु पत्र लिखा जायेगा।
4. संबंधित कार्यालय द्वारा 15 दिवस के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाकर अनुदान की राशि प्रार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन द्वारा जमा करायी जायेगी।
5. समूह में पादप उगाने वाले किसान, कृषक, स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी संस्थाओं, कृषक संघ/ परिसंघ/ निगम को बैंक ऋण लिया जाना आवश्यक नहीं है।
6. भारत सरकार द्वारा निर्धरित ईकाई लागत पर देय अनुदान की सीमा के अनुरूप अनुदान देय होगा।
7. औषधीय फसलों के बगीचों की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही जिला स्तरीय होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसाईटी द्वारा की जा सकेगी जबकि नर्सरी विकास (सार्वजनिक) के प्रस्ताव जिला स्तर से अनुशंसा के पश्चात् अनुमोदन हेतु मिशन निदेशक को भिजवाये जाने आवश्यक है।
8. परियोजना प्रस्ताव जिले के लिये चयनित औषधीय फसलों के लिये ही स्वीकृत किये जायेंगे।
9. कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु कुल व्यय की जाने वाली राशि की 5 प्रतिशत राशि मिशन मैनेजमेंट मद में व्यय की जा सकती है। जिला स्तर पर इस राशि का 2 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 3 प्रतिशत राशि मिशन मैनेजमेंट मद से व्यय की जा सकेगी।

10. स्वयं सहायता समूह/ कृषक सहकारी संस्थायें/सहकारी संस्थायें/स्वयं सेवी संगठन/ट्रस्ट/ निगम आदि द्वारा बगीचे पर अनुदान प्राप्त करने के लिए जमीन के दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित कार्यालय द्वारा 15 दिवस के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाकर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करायी जायेगी। स्वयं की भूमि नहीं होने के स्थिति में कम से कम पांच वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड के दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित कार्यालय द्वारा 15 दिवस के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाकर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करायी जायेगी।
11. कृषक द्वारा बैंक ऋण प्राप्त कर बगीचा स्थापित करने के उपरान्त संबन्धित कार्यालय द्वारा 15 दिवस के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाकर अनुदान की राशि प्रार्थी के ऋण खाते में ऑनलाईन द्वारा जमा करायी जायेगी।
12. कृषक द्वारा प्रस्तुत परियोजना के लिए आवश्यक बैंक ऋण की स्वीकृति का सहमति पत्र प्राप्त होने पर अनुदान की एल.ओ.आई. जारी कर प्रार्थी एवं संबन्धित बैंक को सूचित करेंगे।
13. बैंक द्वारा प्रार्थी को ऋण जारी करने के पश्चात बैंक द्वारा संबन्धित कार्यालय को अनुदान राशि जारी करने हेतु पत्र लिखा जायेगा।
14. किसी कृषक/ संस्था द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान प्राप्त किये जाने की स्थिति में उन्हें अर्न्तशस्य के रूप में औषधीय फसलें लगाने पर नियमानुसार अनुदान देय होगा।
15. कृषक द्वारा उसी अवधी में किसी फसल विशेष के लिए अन्य संस्था/विभाग में अनुदान प्राप्त नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
16. कृषक/प्रार्थी द्वारा बहुस्तरीय (**Multistorey**) एवं मिश्रित फसलें (**Mixed Crop**) लगाने पर उन फसलो पर आनुपातिक रूप से अनुदान दिया जावेगा।
17. योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलेवार चयनित फसलो/आवंटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावें।
18. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमो का क्रियान्वयन संघन कलस्टर के रूप में किया जायें इसके लिये कृषकों का चयन यथा सम्भव समूह के रूप में किया जावें।
19. योजना गतिविधियों व अनुदान प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें।
20. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के जिला हॉर्टिकल्चर उवलपमेंट सोसाइटी (उद्यान विभाग) के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
21. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमो के तहत स्वीकृत अनुदान राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तानान्तरित की जावें।
22. योजना कार्यक्रमो के क्रियान्वयन में भारत सरकार के निर्देशानुसार 17.83 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 13.48 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषको को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चिता करावें। यथा सम्भव आंवटित बजट राशि की 30 प्रतिशत राशि महिला लाभार्थियो/कृषको को उपलब्ध करायी जावें।
23. योजनान्तर्गत सभी कार्यक्रम/ गतिविधियों के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होगे। आवेदन पत्र पर संबंधित कृषक/संस्था/ लाभार्थी का फोटो व जिस भूमि पर कार्यक्रम/ गतिविधि ली जा रही है, के भू स्वामित्व/खसरा नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त मृदा व पानी की जांच रिपोर्ट भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। यथा सम्भव कृषक के मोबाइल नम्बर भी आवेदन पत्र में अंकित करावे जावें।

24. योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक मृत्यु होने की स्थिती में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। जिसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
25. राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्तर्गत औषधीय पौधो की खेती के कार्यक्रम हेतु अनुदान के लिए कृषको के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये। लीज पर ली गई भूमि पर कार्यक्रम लिये जाने हेतु अनुदान देय नही होगा।
26. जिला अधिकारी आवंटित वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर सकेगें। आंवटित वित्तीय लक्ष्यों से अधिक किसी भी कार्यक्रम में प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं करे। इस हेतु यदि जिले में किसी कार्यक्रम की मांग है तो निदेशालय से अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त कर ही कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
27. राष्ट्रीय आयुष मिशन के कम्पोनेंट औषधीय पादप कार्यक्रम अन्तर्गत लाभन्वित कृषकों की सूची मय दूरभाष नम्बर एवं दिये गये अनुदान से संबंधित सूचना पृथक रजिस्टर में संधारित करे। इस हेतु कृषक पत्रावली में परियोजना की फोटो कृषक सहित आवश्यक रूप से लगायी जावे।
28. परियोजना आधरित समस्त कार्यक्रम जिला अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्रस्तुत किये जावें। इस हेतु जिला अधिकारी परियोजना स्थल का निरीक्षण कर स्थल का फोटोग्राफ संलग्न कर स्पष्ट रूप से अपनी टिप्पणी अंकित करगें कि परियोजना नई है एवं अनुदान योग्य है।
29. परियोजना आधारित कार्यक्रमों मे भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
30. किसी योजना/ कम्पोनेंट अन्तर्गत निर्धरित लक्ष्यों से अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर लॉटरी निकाली जाकर लाभार्थियों की वरीयता निर्धारित की जाकर अनुदान उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावें।
31. योजना के तहत सभी लाभार्थियों की डिजीटलाईज्ड सूची तैयार की जावें तथा लाभार्थियों को अनुदान राशी बैंक खाते में हस्तानान्तरित की जावें।
32. योजना अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले कृषको/लाभार्थियों को जब तक विभाग द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नही किये जाते किसी भी गतिविधी पर राज्य योजना से कोई टॉप अप अनुदान (अतिरिक्त अनुदान) देय नही होगा।
33. विस्तृत दिशा निर्देश हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्तर्गत औषधीय पादप कम्पोनेंट हेतु आयुष विभाग की वेबसाईट www. Indianmedicine.nic.in का अध्ययन कर लेवे।
34. सम्बन्धित कार्यालय/संस्था को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के उपरान्त निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा।

3.0 नर्सरी स्थापना

औषधीय फसलों की उच्च गुणवत्ता व अधिक उत्पादन क्षमतायुक्त पौध रोपण सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की जलवायु के अनुकूल राज्य हेतु अनुमोदित पौधों की नई नर्सरियां स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। नर्सरी स्थापना कार्यक्रम परियोजना आधारित है।

4.0 मॉडल नर्सरी :

मॉडल नर्सरी का क्षेत्रफल 4 हैंक्टेयर होगा। यह नर्सरी प्रति वर्ष लगभग 2–3 लाख पौंधे उत्पादित करेगी। पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु नर्सरी के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिये अनुमानित लागत 25.00 लाख रूपये होगी। मॉडल नर्सरी की स्थापना के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में 100 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25.00 लाख रूपये प्रति ईकाई सहायता देय होगी। रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना पौधशालाओं का दायित्व होगा। निजी क्षेत्र में स्थापित मॉडल नर्सरी के लिए सहायता लागत की 50 प्रतिशत होगी बशर्ते वह प्रति एकांश अधिकतम 12.50 लाख रूपये हो। यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के माध्यम से दी जावेगी। मॉडल नर्सरी में निम्नलिखित सुविधायें विकसित की जानी होगी–

1. पौध रोपण सामग्री के तैयार करने, हार्डनिंग एवं रख–रखाव के लिये सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणालीयुक्त शेडनेट हाऊस का निर्माण।
2. कीटरोधी नेट फोगिंग एवं स्प्रिंकलर प्रणाली सहित प्रोपेगेशन हाऊस का निर्माण।
3. सुनिश्चित सिंचाई हेतु पम्प हाऊस और 50 हजार मीटर क्षमता का जल भण्डारण टैंक का निर्माण।
4. पौंध रोपण उत्पादन में काम में ली जाने वाली मृदा व अन्य सामग्री के उपचार के लिये बायलर्स के साथ सोयल/स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली।
5. मातृवृक्ष ब्लॉक की स्थापना।

5.0 छोटी नर्सरीः

छोटी नर्सरी का न्यूनतम क्षेत्रफल एक हैक्टेयर होगा जिसमें प्रति वर्ष कम से कम 60,000–70,000 पौंधे उत्पादित करने होंगे एवं लगभग 9–12 माह की अवधि तक पौधों का रख–रखाव किया जाएगा। छोटी नर्सरियों की लागत 6.25 लाख रू. प्रति ईकाई होगी। सार्वजनिक/स्वयं सहायता दलों के लिये वित्त सहायता 100 प्रतिशत होगी और निजी क्षेत्र में यह लगभग 50 प्रतिशत होगी, किन्तु अधिकतम राशि 3.125 लाख रूपये तक ही रहेगी। जो सार्वजनिक क्षेत्रो के माध्यम से दी जायेगी। ये लघु पौधशालाएं प्रतिवर्ष कम से कम 60,000 पौंधे उगायेगी। नर्सरी पर पौध रोपण सामग्री उत्पादन के लिये निम्नलिखित बुनियादी सुविधायें विकसित करनी होंगी।

1. 35 प्रतिशत तक लाईट स्क्रीन वाला 1000 वर्गमीटर का नेट हाऊस।
2. नेट हाऊस में एक मीटर आकार की उठी हुई क्यारियों का निर्माण।
3. खरपतवार और भूमि जनित रोग कारकों को नियंत्रित करने के लिए क्यारियों के तल पर मल्चिंग शीट कवर का प्रयोग।
4. पूरे नैट हाऊस में प्रत्येक क्यारी में सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणाली का प्रावधानं
5. नर्सरी में मृदा मीडिया के सौर स्टरलाइजेशन के लिए प्रावधान।

6.0 सार्वजनिक क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया

6.1 सार्वजनिक क्षेत्र में नर्सरी स्थापना के लिये मॉडल व छोटी नर्सरी के लिये क्रमशः चार हैक्टेयर व एक हैक्टेयर नया क्षेत्रफल अतिरिक्त होना आवश्यक है। इनमें उच्च गुणवत्ता युक्त पौध उत्पादन के लिये निर्धारित मापदण्ड अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु निम्न सूचना के साथ परियोजना प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी जयपुर को प्रस्तूत करने होंगे।

1. संस्थान का नाम जिसके अधीन नर्सरी कार्यरत है।
2. नर्सरी का कुल क्षेत्रफल व नई नर्सरी स्थापना के लिये उपलब्ध अतिरिक्त क्षेत्रफल।
3. फसल/ फसलो के नाम जिसके लिये नर्सरी स्थापित की जानी है।
4. विकसित की जाने वाली बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विवरण व उनकी लागत के विस्तृत प्ररियोजना प्रस्ताव।

6.2 परियोजना प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति आदेश जारी किये जाकर निर्धारित राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी। नर्सरियों के बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के कार्य खुली निविदाएं आमंत्रित करके इस क्षेत्र में दक्षता रखने वाली अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी/ निजी फर्म/ कम्पनी आदि से करवाये जाने होंगे। नर्सरी स्थापना का कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित संस्थान द्वारा राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को कार्य पूर्ण होने की सूचना से अवगत कराते हुये निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। नर्सरी द्वारा उत्पादित पौध रोपण सामग्री को आवश्यकता होने पर क्रय करने का प्रथम अधिकार (निर्धारित दरों पर) राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी का रहेगा।

7.0 औषधीय पौंधे की खेती हेतु सहायता

राष्ट्रीय आयुष मिशन अर्न्तगत औषधीय पौधो की खेती हेतु कृषि जलवायुवीय स्थितियों के अनुसार चयनित औषधीय फसलों की खेती हेतु अनुदान/सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है इसके लिये परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जायेगी।

1. औषधीय फसलो की खेती समूह में ही होने पर सहायता देय होगी।
2. प्रत्येक समूह में कम से कम 2.0 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक है।
3. प्रत्येक कृषि समूह ऐसे कृषकों में से लिया जाना चाहिये जिनके पास भूमि 15 किमी. के दायरे में हो।
4. सहायता उन इच्छुक कृषकों को उपलब्ध होगी जो आगामी वर्षों में उसी भूमि पर औषधीय पादपो की कृषि करने के इच्छुक होगें।
5. औषधीय फसलो के बगीचों की स्थापना हेतु देय अनुदान की राशि बैक– एन्डेड क्रेडिट से जुडी हुई है।

8.0 **औषधीय फसलों की नर्सरी स्थापना एवं चयनित औषधीय फसलों की खेती के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य** – औषधीय फसलों की नर्सरी स्थापना एवं जिलों के लिये प्राप्त प्रस्ताव अनुसार चयनित औषधीय फसलों के लिये अनुदान हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ठ 3 पर संलग्न है।

9.0 अनुदान

1. कृषक सहकारी समिति, सरकारी कम्पनी, स्वयं सहायता समूह, पादप उगाने वाले किसान, कृषक, संघ, परिसंघ, निगम, ट्रस्ट, कृषक संघ आदि के पास यदि खेती के लिए राशि उपलब्ध है, तो उनको अनुदान प्राप्त करने के लिए बैंक ऋण की बाध्यता नहीं है परन्तु उनकी स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ होने का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही संबंन्धित सदस्यों जिनके द्वारा खेती की जानी है। उनका सदस्यता के संबंध में 10/– रूपये के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सम्बन्धित संस्था के उत्पादन खरीदने की गारण्टी का अनुबन्ध 100/– रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
2. परियोजना प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे –
    I. भू स्वामित्व के प्रमाण के लिये नवीनतम जमाबंदी एवं नक्शा की छाया प्रति (अधिकतम 6 माह पुरानी)
    II. बैंक से ऋण स्वीकृति का सहमति पत्र।
    III. बीज, पौध सामग्री एवं अन्य आदानों के कोटेशन।
3. वार्षिक फसल पर अनुदान वार्षिक आधार पर (20 प्रतिशत) व द्विवर्षीय फसलों पर दो वर्ष में प्रथम वर्ष 60 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 40 प्रतिशत तथा बहुवर्षीय फसलों पर तीन वर्ष में 65:20:15 प्रतिशत के अनुपात में अनुदान देय होगा। मुलैठी की खेती करने वाले कृषकों को देय अनुदान का प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान राशि तथा द्वितीय वर्ष में 25 प्रतिशत अनुदान राशि एवं गुग्गल की खेती करने वाले कृषकों को देय अनुदान राशि का प्रथम वर्ष 65 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 20 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 15 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि देय होगी।
4. अनुदान के लिए पात्रता :–
    I. पौधशाला :– (A) सरकारी संगठन (राज्य कृषि/वन/उद्यानिकी विभा) सरकारी अनुसंधान एवं विकास संस्था/ **SHGICMR/ CSIR/ ICFRE/ DBT/DST** संस्थाऐं।
    (B) गैर सरकारी संगठन, निजी उद्यमी, कृषक (प्रारम्भ में उन्हे केवल 50 प्रतिशत अनुदान प्रायोगिक आधार पर मिलेगा)
    II. कृषि हेतु :–(A) पादप उगाने वाले, किसान, कृषक
    (**B**) पादप उगाने वालों की एसोशियसन, परिसंघ, स्वयं सहायता दल, कॉर्पोरेशन, पादप उगाने वालो की सहकारिताऐं।

10.0 अनुदान राशि की गणना

10.1 औषधीय बगीचों की स्थापना पर निम्नानुसार इकाई लागत के आधार पर अनुदान की गणना की जाकर फसलवार अनुदान/सहायता देय होगी –

क्र. सं.	फसल का नाम	वानस्पतिक नाम	आंकलित लागत/है. (रू.में)	देय अनुदान प्रतिशत	अनुदान राशि (रू. प्रति है. में)
1.	गुग्गल	Commiphora wightii	2,02,400	75	1,51,800
2.	कलिहारी	Gloriosa superba	1,83,012	50	91,506
3.	मुलेठी	Glycyrrhiza glabra	1,33,100	50	66,550
4.	सर्पगंधा	Rauwoldia serpentina	83,187	50	41,593
5.	अश्वगंधा	Withania somnifera	33,275	30	9,982
6.	ब्राह्मी	Bacopa Monnieri	53,240	30	15,972
7.	ग्वारपाठा	Aloe vera	56,567	30	16,970
8.	गिलोय	Tinospora Cordifolia	36,602	30	10,980
9.	सोनामुखी (सनाय)	Cassia angustifolia	33,275	30	9,982
10.	सफेद मुसली	Chlorophytum borivillianum	4,15,937	30	1,24,781
11.	सतावरी	Asparagus recemosus	76,381	30	22,914
12.	कालमेघ	Andrograph spaniculata	33,275	30	9,982
13.	कौंच	Mucunaprurita	26,620	30	7,986
14.	तुलसी	Ocimum sanctium	39,930	30	11,979

10.2 औषधीय पौधों के बगीचों पर अनुदान के लिये परियोजना प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने होंगे, जो परिशिष्ठ –1 पर संलग्न है एवं इसके लिये जारी की जाने वाली एल.ओ.आई. (आशय –पत्र) का प्रपत्र परिशिष्ठ–2 पर संलग्न है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत औषधीय पौधों की खेती हेतु सहायता प्राप्त करने के लिये परियोजना प्रस्ताव

उप निदेशक उद्यान एवं सदस्य सचिव/
सहायक निदेशक उद्यान एवं सदस्य सचिव
होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी
जिला .....

प्रार्थी का फोटो
चिपकावें

विषय :– राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत औषधीय पौधों की खेती हेतु अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु।

महोदय,

मैं उद्यानिकी विकास हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अनुदानित/ सहायता आधारित कार्यक्रम लेना चाहता हूं। विवरण निम्न प्रकार है–

1.	**कृषक/संस्था/आवेदक का नाम**	
2.	**पिता का नाम**	
3.	**कृषक श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)**	
4.	**संस्था का प्रकार, यदि लागू है (सरकारी/पंजीकृत)**	
5.	**पूर्ण पता**	**ग्राम.....** **ग्राम पंचायत.....** **तहसील.....** **जिला .....**
6.	अनुदानित कार्यक्रम का नाम	
7.	फसल का नाम जो लेना चाहते हैं	
8.	**खसरा नम्बर जिसमें कार्यक्रम/गतिविधी लेनी है**	
9.	**सिंचाई का साधनः कुआ/नहर/डीजल इंजन/मोटर हॉर्स पावर**	
10.	**मिट्टी व पानी की जॉच रिर्पोटः(यदि आवश्यक हो तो)**	
11.	फसल का नाम/क्षेत्रफल	
	नाम फसल	क्षेत्रफल
(i)		
(ii)		
(iii)		
12.	परियोजना की लागत (रूपये में)	
(i)	बीज/पौधों की कीमत	
(ii)	खाद व उर्वरक की लागत	
(iii)	पौध संरक्षण रसायन/जैविक कीटनाशकों की लागत	
(iv)	सिंचाई के साधन की लागत	
(v)	मजदूरी	
(vi)	खेत तैयार करने की लागत	
(vii)	अन्य लागत	
(viii)	कुल लागत	

13. संलग्न दस्तावेज :–

I. भू–स्वामित्व के प्रमाण के लिये नवीनतम जमाबंदी एवं नक्शा की प्रति (अधिकतम 6 माह पुरानी)

II. बैंक से ऋण स्वीकृति का सहमति पत्र यदि बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हो।

III. बीज, पौध सामग्री एवं अन्य आदानों के कोटेशन

शपथ पत्र

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है । योजना अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम की कृषक हिस्सा राशि मैं स्वयं वहन करूंगा व कार्यक्रम/गतिविधि किसी अन्य को हस्तान्तरित या बेचना नहीं करूंगा। मैं यह सत्यापित करता हू की मैने इस कार्यक्रम के लिये किसी अन्य संस्था या योजना से सहायता प्राप्त नही की है ।

दिनांकः

हस्ताक्षर कृषक/संस्था प्रभारी

आशय–पत्र (एल.ओ.आई.)

1. आवेदक का नाम व पता
2. प्रस्तावित परियोजना का नाम
3. फसल
4. खसरा नं.
5. फसल का क्षेत्रफल

नाम फसल	क्षेत्रफल
(i)	
(ii)	
(iii)	

6. फसल की उत्पादन लागत
7. ऋण स्वीकृत करने वाली बैंक का नाम व पता
8. सिंचाई का साधन
9. विभाग द्वारा अनुदान की सिफारिश निम्न प्रकार की जाती है

उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं
सदस्य सचिव
होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी
जिला.....

परिशिष्ट–3

औषधीय फसलों हेतु जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2016–17

क्र.सं.	कम्पोनेन्ट	जिला / संस्था का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)
	औषधीय फसलों की खेती (कृषिकरण)				
1.	अश्वगंधा	उ.नि.उ. कोटा	हैक्टर में	100	9.982
		स.नि.उ. नागौर	हैक्टर में	10	0.998
		स.नि.उ. चित्तौडगढ	हैक्टर में	100	9.982
		स.नि.उ. झालावाड	हैक्टर में	150	14.973
	योग			360	35.94
2.	सोनामुखी	स.नि.उ. नागौर	हैक्टर में	5	0.499
3.	ग्वारपाठा (Aloe vera)	स.नि.उ. नागौर	हैक्टर में	5	0.849
		स.नि.उ. चूरू	हैक्टर में	500	84.85
		उ.नि.उ. जयपुर	हैक्टर में	20	3.394
		स.नि.उ. बीकानेर	हैक्टर में	100	16.970
	योग			625	106.1
4.	गुग्गल	स.नि.उ.नागौर	हैक्टर में	5	7.590
		स.नि.उ. करौली	हैक्टर में	5	7.590
	योग			10	15.18
5.	सफेद मूसली	उ.नि.उ. उदयपुर	हैक्टर में	5	6.239
6.	तुलसी	उ.नि.उ. उदयपुर	हैक्टर में	15	1.797
		स.नि.उ. करौली	हैक्टर में	20	2.396
	योग			35	4.185
	कुल योग			1040	168.109